UPSR010004812026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

जमानत आवेदन संख्या–178/2026

आनन्दीलाल पुत्र मानिकचन्द उम्र–30 वर्ष निवासी– मटखनवा गनेशपुर, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–303/2025
धारा–352,351(3) बी०एन०एस०
थाना–इकौना, जनपद– श्रावस्ती।

दिनांक–12–03–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त आनन्दीलाल द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–303/2025 धारा–352,351(3) बी०एन०एस०, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत दिया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी पुष्पा देवी पत्नी कर्मजीत ने पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को तहरीर इस आशय से दी कि प्रार्थिनी पुष्पा देवी पत्नी कर्मजीत गोस्वामी ग्राम बड़का मटखनवा थाना इकौना जिला श्रावस्ती की एक सीधी साधी महिला है तथा प्रार्थिनी अपने घर में अपने बच्चो के साथ अकेली रहती है। व प्रार्थिनी के पति अक्सर बाहर मजदूरी करते है उसी का नाजायज फायदा उठाने के लिए विपक्षी अनन्दीलाल गोस्वामी पुत्र मानिकचंद व रंजीत पुत्र राजकुमार गोस्वामी निवासी पता उपरोक्त जो प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पूरे परिवार को आयें दिन हर एक प्रकार से परेशान करते रहते है तथा भद्दी भद्दी गाली तथा अपने आदमियों से से भी परेशान करवाते रहते है घटना दिनांक 04.11.2025 शाम को प्रार्थिनी बाहर चली गई थी और प्रार्थिनी की लड़की लकी उम्र करीब 17 वर्ष घर पर अकेली थी विपक्षी अनन्दी द्वारा रंजीत को सिखा पढ़ा कर नार्थिनी के घर में घुसा दिया और विपक्षी रंजीत मौके पर प्रार्थिनी की लड़की लकी को अकेला पाकर हाथ पकड लिया व अवैध असलहा कनपटी पर लगाकर कह रहा था कि मुझसे बात करो नहीं तो हम तुम्हारे हित में कुछ भी कर सकते है लेकिन प्रार्थिनी की लड़की लकी ने इनकार कर दिया और शोर मचाने का प्रयास किया तब तक विपक्षी रंजीत प्रार्थिनी की लड़की का मुंह दबा कर बरामदे में खीच लाया व लात मुका थप्पड़ो से मारा पीटा तथा अनन्दी का

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.12 16:49:18 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

रिश्तेदार बीरे पुत्र उदयराज निवासी पता भगवानपुर बनकटवा गोसाई पुरवा थाना इकौना जिला श्रावस्ती व अनन्दी मौके पर पहुंच कर प्रार्थिनी की लड़की लकी को धमकी दिया की घटना की सूचना कही दिया तो जान से मारकर फेंक देंगे तथा घटना की सूचना प्रार्थिनी ने थाना इकौना में दिया और थाना के जरिये विपक्षी को लाया गया लेकिन बिना कुछ पूछताच की व प्रार्थिनी से बिना कुछ बात किये विपक्षीगणों को छोड़ दिया और कल शाम को विपक्षीगणों द्वारा धमकी दे रहे थे कि हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कुछ नही कर पाई इस बार ऐसा दाग देंगे की मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी।

वादिनी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती में अभियुक्त आनन्दीलाल गोस्वामी सहित दो अन्य मुल्जिम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–303/2025 धारा–74,115(2),352,351(3),333 बी०एन०एस० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह कथन किया है कि कथित घटना से आवेदक/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त के यहां से व वादी के यहां से जमीनी विवाद है। जिसके कारण फर्जी तरीके से कथित घटना में अभियुक्त का नाम दर्ज् कराया गया हैं अभियुक्त पूर्णरूपेण निर्दोष है। दौरान विवेचना भी लड़की द्वारा रंजिश की बात बतायी गयी है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध जमानतीय है। आवेदक/अभियुक्त जमानत के आदेशों का पालन करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–351(3),352 बी०एन०एस० का आरोप साबित है और उन्हीं धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मात्र गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध जमानतीय है। आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करने हेतु तैयार हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आनन्दीलाल पुत्र मानिकचन्द्र का जमानत प्रार्थना

पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–303/2025 धारा–352,351(3) बी०एन०एस०, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत मु०–20,000/–(बीस हजार) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डर टेकिंग, कि आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत करने पर बराबर उपस्थित होकर सहयोग करेगा, गवाहों के आने पर जिरह करेगा, गवाहों के पक्षद्रोही होने पर दबाव नहीं देगा, आरोप व बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, के प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कारागार को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांक–12–03–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।